संख्या-38/37/08-पीएंडपीडब्ल्यू (A)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक : 11 फरवरी 2009.

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में अभ्यावेदन ।

मुझे यह कहने का यह निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा-4.2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में पेंशन का निर्धारण इस प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा कि संशोधित पेंशन किसी भी स्थिति में, उस संशोधन पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के समकक्ष वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा तथा उससे ऊपर के वेतनमानों के मामले में संशोधित पेंशन, संशोधित वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी । दिनांक 3.10.2008 के का.ज्ञा. में यह स्पष्ट किया गया था कि वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत पर की जाने वाली पेंशन की गणना, वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत पर (भले ही वेतन का पूर्व संशोधित वेतनमान कोई भी हो) जमा संशोधन पूर्व वेतनमान के समकक्ष ग्रेड वेतन पर की जाएगी । पेंशन में यथाअनुपात कटौती की जाएगी जहां पेंशनभोगी की सेवा, दिनांक 2.9.2008 से पूर्व यथा अनुज्ञेय केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49 के अनुसार पूर्ण पेंशन के लिए अपेक्षित अधिकतम सेवा से कम रही है और यह भी किसी भी स्थिति में 3500/- रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी । कुटुम्ब पेंशन की निर्धारण इस प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा कि संशोधित कुटुम्ब पेंशन, किसी भी स्थिति में उस संशोधन पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के समकक्ष वेतन बैंड तथा उस पर ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन की राशि के 30 प्रतिशत (तीस) से कम नहीं होगी । संशोधित वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन पर आधारित संशोधित पेंशन दर्शाते हुए एक सारणी इस विभाग के दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. के साथ संलग्न की गई थी ।

2. इस विभाग में अनेक अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें निम्नलिखित मुद्दों को उठाया गया है ।

(i) यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त अनुदेश भेदमूलक और विसंगतिपूर्ण हैं तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर लिए गए निर्णयों के अनुरूप नहीं हैं ।

... 2/- ...

(ii) यह सुझाव दिया गया है कि 2006 से पूर्व के कतिपय वेतनमान को दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. के अनुबंध-I के कॉलम 6 में उल्लिखित वेतनमानों से उच्चतर वेतन बैंड/ग्रेड वेतन अथवा वेतनमानों की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(iii) यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां कुछ पदों को अपग्रेड किया गया है और उनके लिए उच्चतर वेतन बैंड/ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान की अनुमति दी गई है, दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा. के पैरा-4.2 (जिसे समय-समय पर स्पष्ट किया गया है) में दिए गए प्रावधान को अपग्रेडेड वेतन बैंड/ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए ।

3. इन अभ्यावेदनों/पत्रों की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच-पड़ताल की गई है । इस सम्बन्ध में जारी किए अनुदेश/स्पष्टीकरण, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप हैं और इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है ।

4. इस विभाग के दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. के अनुबंध-I में दी गई सारणी केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित पेंशन नियमावली) 2008 पर आधारित है जो कि दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार सेवारत् कर्मचारियों पर लागू होती है अत: 2006 के पूर्व पेंशनभोगियों के सम्बन्ध में इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा. के पैरा 4.2 के प्रावधान को लागू किए जाने के प्रयोजन से छुटकारा नहीं दिया जा सकता ।

5. इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. के पैरा 4.2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पेंशन का निर्धारण इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि संशोधित वेतन किसी भी स्थिति में, उस संशोधन पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के समकक्ष वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । अत: उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किया गया पदों का अपग्रेडेशन 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगा ।

6. तद्नुसार, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग में प्राप्त सभी पत्रों/अभ्यावेदनों का निपटान किया जाता है ।

(एम.पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
टेलेक्स:24624802

सेवा में,

1. **भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।**
2. **सभी पेंशनभोगी संघ/एसोसिएशन ।**